कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

दूरभाष : 223392, फैक्स : 07492–223337, मोबाइल : 9424794735, ई–मेल : ccf.svp@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./2020/ 2687 शिवपुरी, दिनांक : 25/07/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।

विषय :- शिवपुरी जिले मे Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Pichhore-khaniadhana Route प्रकरण क्रमांक FP/MP/OTHERS/40471/2019 की स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भ :- वनमंडल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक/डी.एम./2020/3824 दिनांक 23/07/2020

——00——

उपरोक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक एफ-5/विविध/2020/10-11/816 दिनांक 28/02/2020 के पालन मे संदर्भित पत्र से वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव इस कार्यालय में सहमति हेतु वनमण्डल अधिकारी शिवपुरी ने अनुशंसा सहित प्रेषित किया है। उक्त प्रस्ताव में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31 मई 2014 के बिन्दु कमांक-4 के अनुसार प्रकरण 1 है0 से कम होने के फलस्वरूप प्राप्त भूमि व्यपवर्तन की अनुमति जारी की जानी है, जिसमें शासन नियमों का पालन करने की शर्त उपरांत इस कार्यालय की सहमति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है:-

1- भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात प्रकरण आरक्षित/संरक्षित वन का होने से वन भूमि आरक्षित/संरक्षित वन ही रहेगी।

2- उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।

3- यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में वगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन माना जायेगा।

4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संवर्धन के हेत में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेगे।

6- उपयोकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र लिया जावे कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी।

7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानांतर में ही डाला जायेगा। Cable की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव के संलग्न वनसंरक्षक द्वारा भाग-।।। आवश्यक कार्यवाही हेतु सहमति सहित प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(वाय.पी.सिंह)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2020/ 2088 शिवपुरी, दिनांक : 25/07/2020

प्रतिलिपि:-

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी की ओर उक्त प्रकरण में शासन द्वारा दिये गये शर्तो एवं निर्देशों का भली-भॉति परीक्षण कर ही स्वीकृति जारी की जावे।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

भाग—III

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है तथा वनमंडलाधिकारी, शिवपुरी के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3824 दिनांक 23/07/2020 से की गयी अनुशंसा से सहमत हूँ।
2	क्या संबंधित वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत हैं।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र न्यूनतम होने से तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण स्वीकृति दिये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

(वाय.पी.सिंह)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी